UPPG120007432017

**न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।**

मूलवाद संख्या –169/2017

आशीष कुमार––– **बनाम**––––श्रीमती विमला देवी आदि।

**दिनांक–01.11.2022**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को वाद बिन्दु संख्या 3 पर सुना।

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–3**

प्रस्तुत वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त है? इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

न्यायशुल्क से संबंधित यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर बनाया गया है। वाद बिन्दु संख्या 2 के निस्तारण के आधार पर वादी द्वारा दिया गया न्यायशुल्क पर्याप्त है। उक्त स्थिति में वाद बिन्दु संख्या–3 वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है।

**आदेश**

वाद बिन्दु संख्या–3 वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु संख्या 4 हेतु दिनांक 24.01.2023 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0),
लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2022.11.01 17:03:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court